न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दूदू, जिला जयपुर

बइजलास :– गोपाल परिहार (आर.ए.एस.)

राजस्व रेफरेन्स प्रकरण संख्या 10/2013 पुनः दर्ज 111/2021

सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील फागी, जिला जयपुर ।

(प्रार्थी)

बनाम

1. मदनलाल पुत्र लादू माली निवासी चकवाडा।
2. शंकर पुत्र भंवरलाल माली निवासी चकवाडा ।
3. विष्णू पुत्र भंवरलाल माली निवासी चकवाडा ।
4. मु नोरती बेवा बोदू माली निवासी चकवाडा ।
5. गायत्री देवी पत्नी हरसहाय शर्मा निवासी चकवाडा ।
6. जयपुर सेन्ट्रल कॉपरेटिव बैंक लि0 शाखा फागी ।
7. एस.बी.आई.(स्टेट बैंक ऑफ इंडिया) शाखा फागी ।

(अप्रार्थी)

रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्व भू–राजस्व अधिनियम, 1956
की धारा 82 के अन्तर्गत

निर्णय

दिनांक :– 29.12.2025

तहसीलदार फागी द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स के तथ्य निम्नानुसार है :–

खतौनी सेटिलमेन्ट सम्वत् 2011–30 में आराजी खसरा नम्बर 1687, 1690, 1693 व 3193 कुल किता 4 पंच सरावगी जैन मंदिर के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त आराजीयात नामान्तरकरण संख्या 166 द्वारा धारा 19 के तहत लादू पुत्र बालू माली निवासी चकवाडा के नाम दर्ज रिकॉर्ड हुयी है। लादू पुत्र बालू के फौत होने पर उक्त आराजीयात उसके वारिसान के नाम दर्ज रिकॉर्ड हुयी है। आराजी ख0नं0 1687, 1690, 1693 वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2067–70 के अनुसार मदनलाल पुत्र लादू, शंकर, विष्णू पिता भंवरलाल व मु0 नोरती बेवा बोदू कौम माली के नाम दर्ज है। आराजी ख0नं0 3193 वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2067–70 के अनुसार मदनलाल पुत्र लादू 1/3, शंकरलाल पुत्र भंवरलाल 1/6 दर्ज रिकॉर्ड। उक्त आराजीयात में मदनलाल पुत्र लादू का हिस्सा एस.बी.आई. फागी बैंक के नाम रहन दर्ज है तथा शंकरलाल पुत्र भंवरलाल व नोरती बेवा बोदू का हिस्सा जयपुर सेन्ट्रल कॉप0 बैंक लि0 शाखा फागी के नाम रहन दर्ज है। उक्त आराजीयात मन्दिर मूर्ति शाश्वत नाबालिग होने के कारण खातेदारी अधिकार हस्तानान्तरण नहीं किये जा सकते है। उक्त समस्त आराजीयात

अतिरिक्त जिला कलक्टर
दूदू

Scanned with OKEN Scanner

खतौनी सेटिलमेन्ट 2011–30 में खाना नं0 5 में कृषक के नाम में पंच सरावगी जैन मन्दिर दर्ज है। रेफरेन्स योग्य है। अतः रेफरेन्स स्वीकार कर उक्त खातेदारान का नाम विलोपित कर पुनः मन्दिर पंच सरावगी जैन मन्दिर के नाम दर्ज करने के आदेश फरमावें।

रेफरेन्स प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को तलबी हेतु जरिये रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया। ट्रेकिंग रिपोर्ट में आईटम डीलीवर्ड की रिपोर्ट है। वाबजूद सूचना अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 अनुपस्थित है। अतः इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये व अप्रार्थी संख्या 6 व 7 के नियत तारिख पेशी पर उपस्थित नहीं होने पर उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये।

पैरोकार सरकार ने दौराने बहस प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र एवं प्रस्तुत दस्तावेजात में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1687, 1690, 1693 व 3193 कुल किता 4 पंच सरावगी जैन मंदिर के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 अव्यस्क की भूमि का हस्तानान्तरण नहीं हो सकता। मूर्ति को निरन्तर अव्यस्क माना गया है। अतः राजस्व रिकॉर्ड में वर्तमान खातेदारों का नाम हटाया जाकर वापिस माफी मन्दिर पंच सरावगी जैन मन्दिर किये जाने हेतु प्रस्तुत रेफरेन्स को स्वीकार करने हेतु माननीय राजस्व मण्डल को प्रेषित किये जाने योग्य है।

हमने पैरोकार सरकार की बहस का मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत नकल खतौनी सम्वत् 2011–30, नकल जमाबन्दी 2067–70, रिपोर्ट पटवारी व नामान्तरकरण संख्या 166 का अवलोकन किया। प्रस्तुत नकल खतौनी सम्वत् 2011–30 में उपरोक्त वर्णित भूमि पंच सरावगी जैन मन्दिर के नाम अंकित है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 अव्यस्क की भूमि का हस्तानान्तरण नहीं हो सकता। मूर्ति को निरन्तर अव्यस्क माना गया है। विवादित भूमि को अन्य व्यक्तियों के नाम भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा सेटलमेन्ट के दौरान गलत इन्द्राज किया जाना प्रतीत होता है। अतः उपरोक्त विवादग्रस्त आराजी को पंच सरावगी जैन मन्दिर के नाम लगाने हेतु रेफरेन्स किया गया है, जो न्याय संगत है। अतः प्रकरण रेफरेन्स स्वीकार किये जाने हेतु माननीय राजस्व मण्डल को प्रेषित किया जाता है। पत्रावली आदेश की अतिरिक्त प्रतियों के साथ माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को भेजी जावें।

आदेश दिनांक 29.12.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गोपाल परिहार)
अति0 जिला कलक्टर
दूदू